

[Shri Nitiraj Singh Chaudhary]

think over. I hope after having heard the other hon. members, the mover would not press his Bill and would withdraw it.

SHRI C. M. STEPHEN : Sir, it goes without saying that I will withdraw the Bill. My only purpose was to meet the particular need of a particular hour. As pointed out by the minister, the Golaknath case stimulated certain thoughts and pinpointed certain dangers in the present arrangement and therefore, a corrective was necessary. I am still of the view that a corrective is necessary, but I am satisfied with the minister's statement that this has given substance for him to think over.

With regard to the contentions raised by my friends on the other side, I do not want to reply in detail. Most of their statements arose out of a misconception of the purpose of the Bill. To bring in politics into this is absolutely misplaced. The only purpose was to guard that the judiciary functions in a particular manner so that contradictions and stalemates may not arise, which will hold up the progress. That argument was not really met and the purpose was not really understood. I may tell the minister that the statements made by my friends on the other side were only for the purpose of contradicting what I said and have not offered any substance for me to think about. But I am satisfied with the minister's statement that this has given substance for him to think over.

With these words, I withdraw the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI C. M. STEPHEN : I withdraw the Bill.

16.29 hrs.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Substitution of section 153 A) by Shri. Shrimati Subhadra Joshi.

MR. CHAIRMAN : Shrimati Subhadra Joshi.

श्री जगन्नाथ राव जोशी (साजापुर) : सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आज तक इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 153 की व्यवस्थाएँ व्यक्ति से सम्बन्ध रखती हैं और माननीय सदस्या इस विधेयक के उद्देश्यों में कहती हैं कि इस सैक्शन के दायरे में संगठनों और संस्थाओं को भी लाया जाये। इस विधेयक के उद्देश्यों में स्पष्ट किया गया है : "दि किमिनल ला हैब टु बि सूटेबली रमेंडिड टु ब्रिग बिदिन दि परब्यू आफ दि ला सच एसोसियेशन्ज एंड आर्गनाइजेशन्ज।" किन्तु यदि आप विधेयक को देखें, तो यह व्यक्तियों पर ही लागू होगा, इसमें संगठनों और संस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें सजा का यह प्रावधान किया गया है : "शैल बि पनिशड बिद इमप्रिज्न्मेंट बिच मे एक्सटेंड टु ग्री यीमर्ज आर विद फाइन आर बिद बोथ।" इसमें संगठनों और संस्थाओं को सजा देने का प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : पहले माननीय सदस्या को सूब तो करने दीजिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सभापति महोदय, इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह बिल दोषपूर्ण है, इसीलिए मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : Until the Bill is introduced and is before the House no point of order can arise.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) The Bill has already been introduced. Now it is being taken up for consideration. But until Shrimati Subhadra Joshi is heard no point of order can arise. मेरा एक निवेदन है। अगर जोशी जी ने कानून ठीक से पढ़ा होता तो यह चीज उन्होंने

समझ ली होती कि यह जो प्रावधान है इस सेशन के तहत वह क्लास कांफ्लिक्ट को बचाने के लिए ही लाया गया है। हरिसिंह और अपनी कमेटी में कहते हैं, हरि सिंह और की एवॉरिटी तो वह मान लेंगे आसानी से, वह यह कहते हैं :

"In terms of section 158 the object of the section is to prevent the various classes from coming into conflict by mutual abuse and recrimination."

Our intention and purpose is merely to extend the gamut and scope of the section as it stands now. The section itself is meant to take care of certain classes who might get involved in certain conflicts. Now how conflicts should be avoided is a matter of debate. Therefore, there is nothing wrong in what is stated in the Statement of objects and Reasons.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: I am not objecting to the objects. The hon. Member is unnecessarily confusing the issue. The objects of the Bill are specific. But the hon. Member would like to bring under the purview of this section of the Indian Penal Code even organisations and institutions.

सभापति महोदय : देखिए, जोशी जी, पहले तो वह मोशन फार कंसिडरेशन मूव करेगी, उसके बाद ही कोई चीज उठाई जा सकती है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : बिल ही जब दोषपूर्ण है...

सभापति महोदय : वह कुछ भी हो, पहले मूव कर लेने दीजिए।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I want to rise a point of procedure. I am not opposing the Bill; in fact, I am supporting it. But I want your guidance on a particular point of procedure.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member

has not yet moved the Bill for consideration.

PROF. MADHU DANDAVATE: My point has nothing to do with the present Bill under discussion. A number of non-official Bills have already been moved. Some Members suggest or insist that their Bill should be put in Category A, if they feel that the subject matter of the Bill is important. I am very happy that this Bill has been given category A, because it is a very important Bill. But in the very first session of the Fifth Lok Sabha I introduced a Bill, which seeks to restore to Parliament its supremacy and sovereignty. Although it is a very important Bill on which a national debate is going on and although I have requested the Committee to give it Category A, that request has not yet been conceded. Sir, I want your guidance on this.

MR. CHAIRMAN: Until Shrimati Joshi has moved her Bill for consideration no point can arise.

PROF. MADHU MDANDAVATE: I am not raising any point on that Bill. I am raising a point of procedure and I am seeking your guidance as I am a new member.

MR. CHAIRMAN: No point would arise until that Bill is moved for consideration.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ कि भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक, 1972 को सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करें। जो अभी तक हमारे यहां कानून है, मालूम ऐसा होता है कि वह व्यक्तियों पर तो लागू होता है पर ऐसे समुदाय और ऐसी साम्प्रदायिक संस्थाएँ जो देश में साम्प्रदायिकता फैलाती हैं, आपस में घृणा फैलाती हैं उन पर नहीं लागू होता। यह बात ठीक है कि जो व्यक्ति फैलाते हैं.....

श्री हुकुम चन्द कछवाय (मुरेना): वह बिल पेश कर रही हैं या भाषण दे रही हैं? बिना पेश किए भाषण चालू है।

[श्रीमती सुमित्रा जोशी]

सभापति महोदय : पहले प्रस्ताव पेश कर दीजिए, तब भाषण कीजिए ।

श्रीमती सुमित्रा जोशी : मैंने पहले ही कहा कि आपकी इजाजत चाहती हूँ कि यह जो बिल है भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक 1972 वह सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करूँ ।

16.35 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE in the Chair]

सभापति महोदय, जो अभी तक पीनल कोड है उसमें जो लोग घृणा फैलाते हैं और आपस में झगड़े करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं उनके प्रति तो यह कानून लग जाता है पर हमारे देश में ऐसे बहुत से मंच हैं, बहुत सी संस्थाएँ हैं, बहुत से सेक्शंस हैं जो सामूहिक रूप से देश में घृणा फैलाते हैं । मुझको मालूम हुआ कि कानून में कमी है और वह उसके अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं । मैंने वह बिल इसलिए भाज पेश किया है सदन के सामने कि जब यह पास हो जाय तो ऐसे समुदाय, ऐसे समूह और ऐसे सम्प्रदाय जो देश के अन्दर घृणा फैलाते हैं और देश की एकता को भंग करते हैं वह भी इस कानून के अन्तर्गत आ जायें । अभी कुछ सदस्यों ने कहा था कि इसमें समुदाय नहीं आएंगे । अगर देखा जाएगा कि कोई कमी रह गई है तो मैं इस बात का स्वागत करूँगी, वह अमेंडमेंट करके उन संस्थाओं को भी उसमें अच्छी तरह से ला सकें तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

सभापति महोदय, यह बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता कितना नुकसान कर रही है । हमारीं तमाम जो आस्था है विश्वास है समाजवाद में, लोकतंत्र में, वह सब झूठ मुठ का रह जाता है अब हम इस बात की इजाजत देते हैं कि देश के

अन्दर ऐसी संस्थाएँ और ऐसे लोग नफरत फैला कर देश में साम्प्रदायिकता फैलाएँ । चाहे वह धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे वह भाषा के नाम पर हो चाहे किसी रीजन के नाम पर हो जो देश के लोगों में घृणा फैलाएँ उन के लिए मेरा ऐसा स्थाल है कि कानून बनना चाहिए वरों कि ऐसी बिच र-बारा हमारे समाज को, हमारे देश को, सही सोचने की लाइन से बिल्कुल उतार देती है और कहाँ का रख कहाँ कर देती है । जब जब हम तरक्की करने की किशिश करते हैं तब तब ये लोग घृणा फैला कर घृणा का वातावरण पैदा कर देते हैं और जो काम हम करना चाहते हैं वह काम हम कर कर नहीं सकते ।

मैं सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, आप को याद होगा कि जब बँको का राष्ट्रीयकरण हुआ तो सारे देश में एक जोश की लहर दौड़ पड़ी । देश के हाजारों नवयुवक इस बात के लिए तैयार हो गए । उन को विश्वास हो गया कि हमारी आर्थिक हालत में कोई परिवर्तन होने होने वाला है । देश की गरीब जनता उठ कर खड़ी होगई जिस का कि सरमायेदार लोगों ने मजाक भी उड़ाया और कहा कि रिक्शा पुलर और पत्थर तोड़ने वाले क्या जनते हैं समाजवाद को जो प्रधान मंत्री को को मुखारकवाद देने जा रहे हैं ? पर देखा लोगों ने कि कितना जोश फैला, सब लोगों को विश्वास हुआ कि अब सरकार उस तरफ चलने वाली है जिस तरफ चल कर हमारी जिन्दगी में कोई परिवर्तन हो सकता है । जब इतना जोश था आवश्यकता इस बात की थी हम उस तरफ तेजी से चलते और तेजी से कदम उठाते । तभी हम लोगों ने देखा कि एक तरफ तो यह बात थी, दूसरी तरफ अहमदाबाद में दंगा हुआ, बिबंदी में दंगा । हुआ, जलगाव में दंगा हुआ । तो जिस वक्त देश के लोग अपने अधिक सवालों के बारे में सोचने लगे उस वक्त इन संस्थाओं ने ऐसा वातावरण बना दिया कि कोई हिन्दुओं

की गिनती कर रहा है, कोई मुसलमानों की गिनती कर रहा है कोई मस्जिद के लिए रो रहा है, कोई मन्दिर के लिए रो रहा है तो यह हमारे सोचने के तरीके में और काम करने के तरीके में एक बाधा खड़ी करता है।

हम लोगों ने देखा—चाहे रांची हो, रुरकेला हो, कलकत्ता हो टाटा नगर हो, जहाँ पर हमारे बुनियादी उत्पादन के कारखाने हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी वातावरण बिगाड़ कर, धूना फैला कर इन संस्थाओं ने दगा करवा दिया। इन दंगों के होने से, समापति महोदय, हमारे उन कारखानों का उत्पादन रुक जाता है, इतना ही नहीं कि दगों के दिनों में रुकता हो, उस के बाद कई साल तक उन कामों से हम पिछड़ जाते हैं। वैसे तो कारखानों में हड़ताल होती है, हड़ताल से भी नुकसान होता है, लेकिन हड़ताल में कम से कम उतने दिन नुकसान होना है, जिनने दिन हड़ताल चलती है, लेकिन जो फिरकेवाराना दंगे होते होते हैं, उस के बाद वे कारखाने बरमो उठ नहीं सकने और यही नहीं कि उन कारखानों का नुकसान होना है, बल्कि उन कारखानों के माल में जो दूसरे कारखानों चलते हैं उन को मान नहीं मिल पाता जिस से वे कारखाने भी बन्द हो जाते हैं।

चाहे कितनी ही अच्छी नीयत हो, कितना ही अच्छा स्लागन हो, कितनी अच्छी पालिसी हो, हम देखते यह है कि ये फिरकेवाराना फिसाद-कराने वाले लोग, धूना फैलानेवाले लोग हमारे नकशे को ही खराब कर देते हैं, हमारा काम तबाह हो जाता है, इस लिये यह आवश्यक है कि जहाँ हमारा अधीनस्थ में विश्वास हो, समाजवाद में विश्वास हो, वहाँ इस बात की आवश्यकता भी है कि देश के लोग एक होकर आगे बढ़ें, एकता भी हमारे लिये उतनी ही आवश्यक है। देश के लोग मिलकर-बस का कोई भी मजहब हो धर्म हो, बिरादरी हो, रिजन हों, कोई भी भाषा बोलनेवाले हों,

आवश्यकता बस बात की है कि हम बैठ कर सोचें कि हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, हमारे देश में गरीब और अमीर का फर्क कैसे कम होगा। लेकिन इस वक्त जो कम्यूनल-बायलेंस फैलाने-वाले लोग हैं या फिरकापरस्ती फैलानेवाले लोग हैं ये हमारे सोचने के तरीके में ऐसा फर्क डालने की कोशिश करते हैं कि हर वक्त इस बात पर चिन्ता होती है कि नौकरी में हिन्दू ज्यादा है, मुसलमान कम है, किस को नौकरी मिलनी चाहिये, किस की पढ़ाई होनी चाहिये, किस गली की सफाई होनी चाहिये, किस की नहीं होनी चाहिये, हर वक्त ऐसा नक्शा पैदा कर देते हैं, ऐसे विचार पैदा कर देते हैं कि हम लोग किसी और काम में लगे जाते हैं और जो हमारा समाजवाद की तरफ बढ़ने का तरीका है, हम जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, हम मजदूरों के संगठन बनाते हैं, चाहे वह कारखाना हो, चाहे शहर हो, देश हो—हम कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ सरमावेदारी का मुकाबला करने के लिये—वही ये धूना फैलानेवाले लोग, धूना फैलानेवाली संस्थायें, ऐसा वातावरण तैयार करती हैं कि एक मजदूर दूसरे मजदूर की भोपड़ी को आग लगाने के लिये चल पड़ता है। कोई भी तरीका जिसे हम समाजवाद की तरफ आगे बढ़ने के लिये अपनाते हैं, ये लोग हर जगह उस में रुकावट डालते हैं, न हम को सोचने देते हैं और न उस तरफ काम करने देते हैं।

ऐसे लोगों का देश के बनाने में क्या कन्ट्रीब्यूशन है? देश की तरक्की में उन का क्या योगदान है? नफरत फैला कर ऐसी हवा बनाते हैं कि करोड़ों लोग दिल धाम कर बैठ रहते हैं और वह सोचते हैं कि हमारे लिये समाजवाद के क्या मायने हैं, हमारे लिये तरक्की के क्या मायने हैं, हमारे लिये उत्पादन के क्या मायने हैं जब कि हमारे यहाँ रहने पर, हमारे हिन्दोस्तान का नामरिज होने पर भी सम्वेद

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

प्रकट किया जाता है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा सैक्शन, चाहे वह कोई भी हो वह देश की तरफकी में जो अपना लाभदायक कन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, वह कन्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाता है। ऐसे लोगों को हम देश में अर्पण कर के रख देते हैं ये लोग हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं, हमारी जी कर्ब है, बेस्यूज है, उन को भी बदल देते हैं।

सभापति जी, अगर हमारे दिल में किसी के प्रति कोई खराब विचार आते हैं, किसी के प्रति कोई नफरत या बदले की भावना आती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि वह हमारे मिश्रों के सामने भी प्रकट न हो, लेकिन ये साम्प्रदायिक जमायतें ऐसी हवा देश में फैलाती हैं कि हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। स्टेज पर, पब्लिक मीटिंग में एलान करते हैं कि फलों बात हुई है, हम उस का बदला लेकर रहेगे। किसी ने एक मारा है तो हम 20 को मारेंगे, किसी ने एक बहन का अपमान किया है तो हम 20 का अपमान करेंगे—यह कुत्सित भावना जो इन्सान में इन्सानियत के नाते दबा दी जानी चाहिये, ये लोग उन को उकसाते हैं, स्टेज पर उस को ला कर उभारते हैं जिस से समाज की हानि होती है।

इन का सोचने का तरीका, सभापति महोदय, इतना गलत है कि जो बड़े बड़े ऐतिहासिक काम होते हैं, जिन को दुनिया मानती है, ये उस को दबा देते हैं, उस पर भी हम ठोक से सोचने नहीं देते हैं। आप जानते हैं,—बंगला देश का बन आना कितना बड़ा ऐतिहासिक काम है, सिर्फ हमारे देश के लिये नहीं, सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। हमारे देश का उस में कितना कन्ट्रीब्यूशन था, उसे आज दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से हमारे देश के लोगों ने बन से, चाहे अपने पैर पर मट्टी बांधनी पड़ी हो,

किस तरह से एक करोड़ लोगों को जो शरणार्थी हो कर आये थे, उन की परवरिश की। यह भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सेनाओं ने वहां जा कर किस तरह से मदद की, बंगला देश को स्थापित कराया, वहां की पीड़ित जनता की किस तरह से रक्षा की, लेकिन जो आज बंगला देश की जीत हुई है, यह हमारी धर्मनिपेक्षता की जीत है, संयुक्त आइडियाज की जीत है। हमारी सरकार ने बंगला देश के लोगों के साथ मिल कर जो बंगला देश बनाया, उस का बनना ही धर्म-निपेक्षता की जीत है। लेकिन आज मैंने सुना कि जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात पर भी नाराजगी प्रकट की है। यह एक कुदरती बात है—क्योंकि बंगला देश का बनना तमाम साम्प्रदायिक लोगों के लिये, साम्प्रदायिक जमायतों के लिये उन की हार हो गई। इस लिये हार से परेशान हो कर... (व्यवधान)...

श्री जगन्नाथ राव जोशी. इस तरह से भारत को बदनाम क्यों कर रहे हैं। हम तो शुरू से ही बंगला देश को सान्ध्यता की हिमायत करते रहे हैं, अब हमारा नाम लेकर इस तरह से हम को बदनाम क्यों किया जा रहा है... (व्यवधान)...

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : ये भ्रमरीकी इशारे पर भगड़ा कराने के कार्य करते हैं... इन्होंने देश को गुमराह किया, दो बार हारे फिर भी धर्म नहीं आती है।

श्री हुकम चन्द कल्लाक धावन किया।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: Why should she malign this country, Sir, for nothing? Is there any relevance? Do you allow this? It was our own leader who congratulated our Prime Minister when recognition was given. In spite of that, why should she malign us for nothing?

क्या दुनिया के सामने हम ऐसी, तस्वीर खींच कि बंगला देश की जीत होने से भारत में कोई ऐसा दम था जिस को भयन्द नहीं हुआ। तुम्हारे धीरे हमारे मार्ग भ्रम है लेकिन दुनिया के सामने भारत को बदनाम क्यों करें।

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर): मैं जोशी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ—बंगला देश के कायम होने से संवयूलरिज्म की जीत हुई या नहीं हुई? अगर इस बात को बतला दें—आप इस को मानते हैं या नहीं मानते हैं?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : हम ने उसे का विरोध कभी किया ही नहीं। हम शुरू से ही यह कहते आये हैं कि उस को मान्यता दो।

श्री शम्भू नाथ यह सवाल सिद्धान्त का है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह विधेयक घृणा फैलाने के खिलाफ है, स्वयं माननीय सदस्या घृणा फैला रही हैं, इस का क्या मतलब है? क्या यह विधेयक इसी बात के लिये है कि जान बूझ कर घृणा फैलाई जाय?

Absolutely baseless allegations, we are not here to stomach these

श्री शशि भूषण : यह इस डिबेट को अपने खिलाफ क्यों समझते हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आप जनसभ का नाम लेकर बोल रहे हैं...(व्यवधान)...

It is on record that our leader Shri Atal Bihari Vajpayee was the first to congratulate the Prime Minister in this House on the recognition of Bangla Desh?

MR. CHAIRMAN: If you want to express your views or take any objection, you can stand on a point of order. You can raise it.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: I raised a point of order.

MR. CHAIRMAN: You have not. Just simply don't get up and say whatever you like. You have every right to raise the point but you have to follow the rules. You are a seniormost and experienced Member of the House.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I am more senior to him, Sir.

MR. CHAIRMAN: Please ask your followers to keep quiet. Let them maintain silence.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केवल एक गार्डरेंस लेना चाहता हूँ। जोशी जी ने अभी कहा है कि दुनिया के सामने जनसभ को बदनाम किया जा रहा है...

श्री जगन्नाथ राव जोशी : बंगला देश की जीत के बारे में भारत को बदनाम किया जा रहा है। जनसभ को आप बदनाम करें, लेकिन देश को क्यों बदनाम कर रहे हैं?

श्री एस० एम० बनर्जी : सारी दुनिया के सामने बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपने घर में बदनाम कर रहे हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, मैं इस बात का जिक्र कर रही थी कि राष्ट्रपति के भाषण पर बोलते हुए जनसंघ के नेता ने बंगला देश के सिलसिले में जिस तरह से अपने विचार प्रकट किये उस से ऐसा मालूम हुआ कि चाहे इन की जमायत मुजीबुर्रहमान के फोटो लेकर बंगला देश की मान्यता के लिए जलूस निकालती रही या सत्याग्रह करती रही, पर दरअसल मे उन की हमदर्दी बंगला देश के लोगों के साथ नहीं थी। यह अक्षण्ड भारत बनाने का जो नारा दिया करते थे, यह इस बात की खुशी में रहे कि पाकिस्तान के टुकड़े हुए...

.....(व्यवधान)..... आप की इस जमायत के जो नेता हैं आज उन के भाषण से यह स्पष्ट हो गया व मान्यता को उस वक्त बात कर रहे थे, जब उन को क्या था कि शायद मान्यता देने से जंग जल्दी छिड़ जाय, युद्ध जल्दी हो जाय, उन की नियत इतनी साफ नहीं थी जितनी वह उस वक्त दिखाते थे।... (व्यवधान) —

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अगर कोई मोटिव पर सस्पेक्ट करे तो इस का क्या मतलब है ? उन को फैक्ट्स के बेसिस पर बोलना चाहिए।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अभी जो चुनाव हुए उस के पहले यह जमायत कोशिश करती रही, कभी खिलाफ में, कभी मदद में, कभी समर्थन में, अलग अलग भाषण देती रही, फिर भी जनता ने साम्प्रदायिक जमायतों को रिजेक्ट कर दिया और आज वे अपने सच्चे रूप में हाउस के सामने प्रकट हुए ... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Are we following a new method, a new procedure. When she is on her legs, unless she yields or unless you have a point of order, you should not create noise or trouble in the House. Just follow the rules. You have also every right to speak when your turn comes. Why are you unnecessarily interrupting the speaker. The hon. Member may kindly conclude within her time.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : विद्वान टाइम कैसे कर्क ? अगर वे ऐसे ही रोकेंगे तो मैं कैसे बोलूँ ?

तो मैं सदन का ध्यान इस तरफ़ खींच रही थी, जब इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हमारे देश के पड़ोस में हुआ तो उस तरफ़ भी इन्होंने हमको विचार नहीं करने दिया। आज इसकी कितनी कीमत है, कितनी बड़ी वैल्यू है

दुनिया के सामने। हिन्दुस्तान एक सैक्युलर देश है, यहां का सैक्युलर कांस्टीट्यूशन है, सबके बराबर के अधिकार है और यह हमारे देश का योगदान हुआ है कि हमारे पड़ोस में इस प्रकार की एक सैक्युलर सरकार और सैक्युलर देश बना। पर जिस वक्त यह हो रहा था तो मैं आपकी तबज्जह इस तरफ़ दिलाना चाहती हूँ कि साम्प्रदायिक जमायतों, साम्प्रदायिक तत्व इन चीजों को जनता के सामने आने ही नहीं देते थे। उनको हमारी आँखों के सामने फिरफा-परस्ती के चक्कर में ओझल कर देते थे। जब हमारे यहां एक करोड़ शरणार्थी आये तो सरकार के सामने और देश के सामने यह प्रश्न था कि कैसे इनको खिलायें, कैसे इनको परवरिश करें, कैसे इनको बीमारी में बचाये और कैसे पाकिस्तान के रोप का मुकाबला करें ? उस वक्त ये जमायते क्या कर रही थी। ये हिसाब लगा रही थी कि जो शरणार्थी आये हैं, उनमें कितने हिन्दू हैं और कितने मुसलमान है। ये कभी कहते थे कि इतने करोड़ मुसलमान पहले से हिन्दुस्तान में बैठे हैं और इतने करोड़ और बने आये हैं। कभी कहते थे कि जो मुठ्ठी भर हिन्दू बहा बचे थे, वे भी निकाल दिए गये हैं। अब तो मौका आ गया है जब कि सारी समस्या का हल हो जाना चाहिए और हिन्दुस्तान से मुसलमानों को निकाल देना चाहिये। जब इतना बड़ा ऐतिहासिक काम आ रहा था तो जनता के सामने भी उस चीज को नहीं आने देते थे। हमारी वह ताकत जो कि शरणार्थियों की परवरिश करने में लगनी चाहिये थी, हमारी वह ताकत जो कि देश का निर्माण करने में लगनी चाहिये थी, वह ताकत इस बात में लगी कि कहीं ये साम्प्रदायिक जमायतें देश में बंगा-फिसाव न कर दें। एक तरफ़ हमने पाकिस्तान का मुकाबला किया और एक तरफ़ देश के अन्दर इन लोगों का मुकाबला करना पड़ा। इस तरह से जब भी देश पर विपत्ति आई है ये साम्प्रदायिक जमायतें इस किस्म के बखोड़े खड़ा कर देती हैं। जब जवाहरलाल नेहरू

से लड़ रहे थे तो ये जवाहरलाल से लड़ रहे थे। जब शास्त्री जी पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो ये शास्त्री जी को गाली दे रहे थे और जब इन्दिरा जी पाकिस्तान से लड़ रही थीं और बंगला देश के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी तो ये इन्दिरा गांधी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कई करोड़ आबादी को ये बिल्कुल घर बिठा देते हैं ताकि देश की तरक्की में उनका कोई हिस्सा न रहे। होम मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, जनता भी हमसे पूछती है कि अगर आदमी के कल के लिए किसी को कोई उकसा देता है तो उस उकसाने वाले को भी सजा मिलनी है लेकिन ये जो जमायतें हजारों का खून करने के लिए उकसा दें, लाखों को घरों से उजाड़ने के लिए उकसा दें—क्या सरकार का कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता जो कि इनकी रोक-थाम कर सके। क्या इनकी रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं बन सकता? कास्टीचूशन जब इतनी बार हाउस में बदला गया है और अगर इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है और यह उसके दायरे में नहीं आता तो इसके लिए भी संशोधन करना चाहिए।

सभापति महोदय, यह जो मैंने अभी इस हाउस में अभी जो भाषण हुए उसका जिक्र किया। ये किस तरह की बातें चलाते हैं, मैं सदन के सामने रखना चाहती हूँ ताकि मालूम हो सदन को कि यह कानून इतना आवश्यक क्यों है। ये साम्प्रदायिक जमायतें क्या कहती हैं, मुसलमानों के लिए उनका कहना है—

दुर्भाग्यवश हमारे देश में हमारे संविधान ने इस घरती के बच्चों और आक्रमणकारियों को बराबर समझा है और सबको समान अधिकार

दिये हैं, यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति बिना समझे-बूझे अपने बच्चों एवं घर में घुस आए चोरों के समान अधिकार दे और अपनी सम्पत्ति उनके बीच बांट दे। यही बात हमारे देश में भी हुई है। आक्रमणकारियों को भी वे ही अधिकार हैं जो घरती के बच्चों को।”

वास्तव में सारे देश में जहाँ भी कोई मस्जिद या मुसलमान बहुलता है, मुसलमान यह समझते हैं कि यह उनका आजाद हल्का है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना है कि देश के भीतर इतने मुसलमान प्रभाव-क्षेत्र है, यानी छोटे छोटे पाकिस्तान हैं। ये प्रभाव-क्षेत्र पाकिस्तान है। ये प्रभाव-क्षेत्र पाकिस्तान प्रेमी तत्वों के इस देश में व्यापक जाल के केन्द्र है। ये इनके विचार मुसलमानों के बारे में है।

ईसाइयों के बारे में आपका कहना है—

“हमारे देश में आज रहने वाले ये ईसाई बन्धू न सिर्फ हमारी जिन्दगी के धार्मिक और सामाजिक ढाँचे को गिरा देना चाहते हैं बल्कि देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, और ऐसा यदि उनके लिए सम्भव हो तो वे यह सारे देश के पैमाने पर करेंगे। जहाँ भी वे गये हैं उनकी यही भूमिका रही है—सामंसीह की अवतारिक छाया के नीचे मानव जाति के लिये शांति एवं बन्धुत्व कायम करने के आत्मक लबादे को धोड़कर यह काम होता है।”

आगे आप फरमाते हैं—

“जब तक ईसाई यहाँ पर ऐसे काम करेंगे और अपने को ईसाइयत फैलाने वाले

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधि समक्षों तथा भावभूमि के प्रति पहली बकादारी जाहिर कर तथा अपने पूर्वजों की परम्परा और संस्कृति के सम्बन्धी सन्तान के रूप में आचरण करने से इन्कार करेंगे तब तक वे शत्रु होंगे और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा।”

17 Hrs.

और व्यवहार करने के लिए सभापति महोदय, आज इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि साम्प्रदायिक संस्थाओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए। वह व्यवहार करने के लिए छाठियां चलाना सिखाते हैं, छुरे चलाना सिखाते हैं, चाकू चलाना सिखाते हैं, आज यह दुनिया जानती है। सभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से दरयाप्त करना चाहती हूँ कि जब ऐसी बातें लगातार कही जायेंगी तो बाताबरण देश का कैसा होगा, इसका असर क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि सदन की समिति खुद इस बात पर विचार करे। जब चौबीसी घंटे इस किस्म का जहर फैलाया जाएगा तो उसके बाद सभापति महोदय, क्या होम मिनिस्टर फरमा सकते हैं कि दंगे इसलिए होते हैं कि किसी न किसी पर गुलाम फँक दिया या दंगे इसलिए होते हैं कि किसी ने होली का रंग फँक दिया या दंगे इसलिए होते हैं कि रिक्शा पुलर को किराया नहीं दिया, या किराया कम दिया? तो वह बाताबरण दिन-रात देश में दूषित किया जाता है।

एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। सभापति महोदय, एकता हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है न इन लोगों की एकता के बारे में क्या विचार है? एकता के बारे में एक साम्प्रदायिक जमायत का कहना है—

“कुछ ऐसे लोग हैं जो घोषणा करते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान में हिन्दुओं, मुसलमानों,

ईसाइयों और अन्य धर्मावलम्बियों के बीच राजनीतिक और आर्थिक घरातल पर एकता हासिल कर ली है। किन्तु सिर्फ वहीं तक एकता सीमित क्यों रहे? एकता को और व्यापक और विस्तृत क्यों न बनाया जाए जिससे इन सबको हिन्दू जीवन और हमारे धर्म के साथ एकबद्ध कर दिया जाए और उनको फिर छोए हुए बन्धुओं की तरह वापस कर लिया जाए। जो लोग सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक घरातल पर एकता की बात करते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हम न सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक एकता चाहते हैं, बल्कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता भी चाहते हैं।”

इस किस्म की बातें ऐसी समाज विरोधी और सांप्रदायिक जमायतें करती हैं और ऐसी भी जमायतें हैं उनका भी जिक्र न करूँ तो सभापति महोदय मुनासिब न होगा। ऐसी भी जमायतें हैं जो कहती हैं कि जम्हूरियत का कानून इंसान का बनाया हुआ कानून है। इन जमायतों का कहना है कि कानून खुदा का बनाया हुआ होना चाहिए, इन्सान का बनाया हुआ कानून नहीं होना चाहिए और और ऐसा कहकर कि कानून वही लागू होना चाहिए जो खुदा का बसाया हुआ हो, ऐसा प्रचार करके उनकी कोशिश यह है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से को दूसरे लोगों से अलग रखें और यह क्वाब देखते रहे कि कब खुदा का बनाया हुआ कानून आयेगा और वह जम्हूरियत देश की तरक्की में हिस्सा ब लें। इस तरह की जमायतें भी हमारे देश की तरक्की के खिलाफ पड़ती हैं और समाज को गिराने का काम करती हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि यह सही है कि सिर्फ सरकार अगर कानून बना दे तो कानून बनाने से ही इसका मुकाबला नहीं होगा, यह मैं मानती हूँ कि सिर्फ कानून ही इस बीमारी का इलाज नहीं है, पर मुझे यह कहना

है कि सिपासी और राजनीतिक तरीके से इस बिचारधारा का मुकाबला करना चाहिए उस बात को मैं मानती हूँ, पर सिपासी और राजनीतिक लोगों को इन तत्वों का मुकाबला करना है और जनता भी करती है, तो जनता पूछती है उससे कि आखिर सरकार इन सब बातों की इजाजत क्यों देती है? क्या सब लोग टैक्स नहीं देते हैं, क्या सब लोग सरकारी कामों में पूरा योगदान नहीं देते हैं, क्या सब लोग लगान नहीं देते हैं? तो फिर क्यों इस बात की इजाजत दी जाती है कि एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन फैलाये और एक दूसरे को मरवाने की बात करें। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जनता ने फिरकेदाराना जमायतों को जो दो दफा ब्रिक्स्ट दी है, दो दफा इनका मुकाबला किया है, हमारे देश की जनता ने सांप्रदायिक तत्वों, साम्प्रदायिक संगठनों को दो दफा नामजूर कर दिया, दो दफा रिजक्ट कर दिया 1971 में और 1972 में, तो जनता का अधिकार है और जनता पूछना है कि हमने जब रिजैक्ट कर दिया तो सरकार का इसमें योगदान क्या हुआ? सरकार ने भी अपना काम किया कि नहीं। जनता ने नुमाइन्दों को चुनकर भेजा, सरकार को चुनकर भेजा, उन नुमाइन्दों में जनता को पूछन का अधिकार है कि हमारी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया।

मैं अपील करती हूँ होम मिनिस्टर साहब से कि जनता एक बड़ी लड़ाई में लगी हुई है, सरकार को भी उस महान लड़ाई में, उस महान आगि में, कानून बनाकर योगदान देना चाहिए और इसके पहले कि जनता कानून को हाथ में ले, कानून को चाहिए कि वह जनता की मदद करे, जनता का नेतृत्व करे और उन जमायतों पर पाबन्दी लगाई जा सके।

इसलिए मैंने जो बिल यहां हाउस के सामने बिचार करने हेतु रखा है, आशा है कि

सभा के सदस्य इसका समर्थन करेंगे और इसको पास करेंगे। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Motion moved: "That the Bill further to amend the Indian Penal Code, be taken into consideration."

Now Mr Daga—not present. So, his amendment is not moved. Shri Jagannathrao Joshi

श्री जगन्नाथ राव जोशी. (शांजापुर): मैंने प्रारम्भ से इसलिए अपसि उठाई थी क्योंकि पीनल कोड के अन्दर 153 बी धारा है और उसको जब एमेड करने के लिए, सिलेक्ट कमेटी बँठी थी तो उसका मैं भी सदस्य था। उस समय भी बार बार मैंने यह सवाल उठाया था कि जब वह धारा इतनी ब्रॉड है तो नई चीजे उस में जोड़ने की क्या जरूरत है। इस में सारी चीजें दी हुई हैं। प्राप ओरिजनल जो है उसको देखें। उस में दिया हुआ है:

"by words, either spoken or written, or signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of place of birth, religion, race, language, caste or community or any other ground whatsoever"

इस में दुनिया भर की सब चीजें आ जाती है। इस वास्ते मैंने पूछा था कि प्राप जब एमेड करने जा रहे हैं तो मुझे कम से कम एक दो उदाहरण तो आप दें कि

You wanted to bring the culprit to book, but you could not do because of the lacuna

एटर्नी जनरल को भी कहा बुलाया गया था। उन से भी मैंने पूछा था कि इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने भी यही कहा कि वह केवल यह बता सकते हैं कि कांस्टीट्यूशनल है या नहीं है। मैंने कहा कि प्राप एमेड करने जा

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

मैं चाहता हूँ कि सरकार के पास अधिकार होने के साथ ही सरकार को कानून बनाने में कुछ और बुद्धि चाहिए, ताकि वह उपाध्याय से मिलने चाहिए किन से क्या चल सके कि किसी व्यक्ति को आप पकड़ना चाहते थे, किसी व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा चलावा चाहते थे लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सके इन दी एवसेल आफ दी प्रोविजन्स। जबकि सरकार का यही था कि हमारे हाथ में ज्यादा अधिकार होने चाहिये। जब अधिकार ज्यादा होने से क्या होता है ?

इस बिल के स्टेटमेंट आफ प्रावर्जेंटम एंड रीजन्स में दिया हुआ है।

"The Criminal Law have to be suitably amended to bring within the purview of the law such associations and organisations."

This does not serve the purpose

सबाल कानून का नहीं है। सबाल कानून को व्यवहार में लाने का है।

I will quote a specific instance The CPI who is an ally of the ruling party today has passed a resolution in their Cochin Congress that hereafter the CPI would like to combine ballot with bullet

SHRI S M BANERJEE That is wrong

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर). मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जोशी जी ने एक दल का नाम लिया है जो इस सदन में रजिस्ट्रैटड है। उसके बारे में उन्होंने ऐसी बात कह दी है जो बिल्कुल गलत है और जिस का इन बिल से सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने बैलट और बुलेट की बात कही है। मैं चाहता हूँ कि या तो वह इसको साबित करें या इसको वह वापिस ले और समाप्त करें। वरना यह रिकार्ड पर नहीं रहना चाहिये।

PROF. MADHU DANDAVATE : I think the hon. Member has made a wrong statement. That statement was not from a resolution, it was from a speech of comrade Dange who talked about ballot and bullet.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : I stand corrected. I read it in the papers. I stand corrected.

जोबुल कर ऐसी हिंसा का प्रचार करते हैं ... (इंटरक्व) मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर इस तरह की हिंसा का महाराजिया जग। हिंसा का यहाँ प्रचार करने की किसी को छूट नहीं होनी चाहिये। हिंसा का कोई आधार नहीं रहना चाहिये। इसी तरह से कोई बंद डेप भी पैदा ना करे, यह भी मैं चाहता हूँ। यह बीज देश की प्रकृति से मेल नहीं खाती है

श्री एस. एम. बनर्जी सब साधू हो जायें।

श्री जगन्नाथ राव जोशी: आप देखें कि दीन दयाल उपाध्याय जी का ट्रेन में कत्ल हो गया। कारतिल पकड़ा नहीं गया जब कत्ल हो गया तो घृणा तो थी ही लेकिन वह घृणा किस से पैदा की ? देश के अन्दर घृणा पैदा नहीं होना चाहिये। बार बार और लगातार यह कहा गया है कि आपके पास कानून है और उसके दायरे में आप जिस किसी का चाहे ला सकते हैं तो क्यों नहीं आप उसका इस्तेमाल करते हैं। काश्मीर में क्या चल रहा है। देश की एकता और मिष्टा को चुनौती देने वाले को आपने दिल्ली में किसी मकान में बन्द कर रखा है। दस साल तक पश्चित नेहरू ने भी उनको बन्द किया था। जो भी गलत काम करे, उसको सजा मिलनी चाहिये। कानून का राज चले। ऐसा न हो कि हाथ में अधिकार आप में और जो चाहें करते चले चले जाएं। और जबरदस्ती नहीं बलनी चाहिये। सात जंतर

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

संहर पर क्या हुआ, इसको हमने अपनी भाषों के सामने रखा। वहाँ जोर मचाई नहीं।

दिल्ली में ही क्या भारी बैक में फाड़ हुआ।

On the floor of the House, on assurance was given that they would be arrested under IPC 409.

इतना बड़ा भारी फाड़ होने के बाद भी और इतने महीने के बाद भी आज तक किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सवाल कानून का नहीं है, सवाल कानून के व्यवहार का है।

घृणा कौन पैदा करता है? बार बार मैं मुनता आ रहा हूँ साम्प्रदायिक सम्बाधों के बारे में। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने भी इसका उल्लेख किया और बोली कि यह साम्प्रदायिक जमात है। हम भी जनना चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता क्या चीज है। कैसे इसका पता लगे? हमने माग की है कि साम्प्रदायिकता क्या है, इसको तय करने के लिए एक आयोग बिठाइये, निष्पक्ष अयोग बिठाइये और वह साम्प्रदायिकता की व्याख्या करें।

श्री लक्ष्मि भूषण मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। उसकी जो भी फाई डिग हो, उसको मैं मान लूंगा। जब ये मानते हैं तो मैं भी मान लूंगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह माग मैंने प्रधान मंत्री से की है। कोई हिन्दुओं का संगठन करे तो वह गलत नहीं हो जाता है। आप कांस्टीट्यूशन का जो अर्टिकल 25 है उसको देखें:

Article 25 gives the description of a Hindu. The Sikhs are included, the Jains are included, the Buddhists are included.

हिन्दू धर्म संगठन करते हैं, क्या यह कहा

जाएगा कि वह दूसरों का विरोध करते हैं? तो फिर हिन्दुओं के लिए ही जब यहाँ कांस्टीट्यूशन है तो क्या वह हिन्दुओं का विरोध नहीं है? इस देश के धर्मर समता की कोई सीमा है या नहीं है? पीसफुल जरीज्जली, पीसफुल एसोसिएशन, पीसफुल आमेनाइजेशन का उनको अधिकार है या नहीं है?

भारतीय जनसंघ 1951 से काम कर रहा है। अगर भारतीय जनसंघ साम्प्रदायिक है तो उसके किसी एक भी सदस्य को आप पकड़ कर कोर्ट के सामने क्यों नहीं धसीट कर ले जाते। आपके पास अधिकार है, कानून है, न्यायलय है—

श्री एस० एम० बनर्जी : सीधे के लिए तो कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : 1954 में आबडी सदन में आप लोगों ने समाजवाद को स्वीकार किया। जब कांग्रेस के दो भाग हो गए तो आप लोगो ने कहा कि आप समाजवाद लाना चाहते थे, दस सूत्री कार्यक्रम पर प्रमल करना चाहते थे लेकिन मोरारजी देसाई, पाटिल, निर्जलिंगप्पा आदि ने नहीं करने दिया। अब कोई समाजवाद का विरोध करे तो इसका मतलब यह है क्या कि वह घृणा पैदा करता है। बैको के राष्ट्रीयकरण का विरोध करे तो इसका मतलब यह है क्या कि वह घृणा पैदा करता है। और कई चीजें सरकार अपने हाथ में लेती जा रही है और अगर यह कहा जाए कि फैसिज्म की प्रवृत्ति पनप रही है तो इसका क्या मतलब यह हुआ कि घृणा पैदा की जा रही है?

बंगला देश के बारे में भी आपका और हमारा विरोध रहा है। जरूर हम कर सकते हैं। लेकिन जब भारत जीत गया तो ऐसी बात तो नहीं है कि भारत के धर्मर कोई नाराज है उस

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

जीत पर। क्यों आप दुनिया के सामने ऐसी भारत की तस्वीर खींचना चाहते हैं कि यहां कोई नाराज है। दर आयद दुस्त आयद। आपने अच्छा किया और उसके बास्ते हमने आपको कांग्रेसुलेट भी किया। युद्ध के वक्त देश ही एक दल होता है, अलग-अलग दलों की हिसिंगत नहीं होती है। हमारे नेता ने बार बार कहा था कि भारत देश एक दल है। यह हमारे नेता के उद्गार हैं। भारतीय जनसंघ को इस तरह से कोसने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। सोच समझ कर, जानबूझ कर जब आप इस तरह की बात करते हैं तो क्या यह घृणा की श्रेणी में नहीं आती है।

गांधी जी की हत्या करने का बार-बार हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या गांधी जी के हत्यारे हम हैं। आप हमें कोर्ट के सामने पेश करें। हम भाग नहीं जाएंगे। क्या आप लोग स्वीकार करते हैं इसको? ईमानदारी से इस प्रजातंत्र में कोई आपका विरोध करता है तो वह भी आपको स्वीकार नहीं है। आप ने एक रास्ता अपनाया। अब उस रास्ते को कोई स्वीकार नहीं करता तो वह सम्प्रदायवादी हो गया। पाटिल, मोरारजी देसाई इत्यादि जब तक उधर य तब तक तो ठीक थे और जब उधर नहीं रह ता सम्प्रदायवादी हो गये, साम्प्रदायिक बन गए, रिएक्शनरी बन गए, राइट रिएक्शनरी बन गये। इस तरह से सोचन का जो ढग है वह अच्छा नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता को तय करने के लिये आप एक निष्पक्ष आयोग क्यों नहीं बिठाते हैं? यह हमारी मांग है। कौन सा दल साम्प्रदायिक है, कौन सा दल साम्प्रदायिक को बढ़ावा देता है, यह तय किया जाये। इस में अगर आप आते हैं, तो आप फांसी पर बढ़िये और अगर हम आये, तो हम उस के लिये तैयार हैं। जो भी सजा हो, हम

उस को लेने के लिये तैयार हैं। दूसरों को भी इस के लिये तैयार होना चाहिये।

अगर इण्डियन पीनल कोड में संशोधन करना है और इस के अन्तर्गत संगठनों को खाना है, तो उस दृष्टि से यह विधेयक दोषपूर्ण है। जो पहले था, उस में कुछ जोड़ दिया गया है, इस से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इस लिये इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है। 'मान एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर' में सब कुछ आ जाता है।

यदि इस बिल को यहां लाने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि जनसंघ की आलोचना करनी है, तो उस के लिये काफी समय है। यह प्रजातंत्र है। हम भी आप की आलोचना करते हैं, आप भी कीजिये। आलोचना करने के लिये काफी विषय भी हो सकते हैं। किन्तु साम्प्रदायिकता, घृणा, डेष, ये सारी बातें भारत में नहीं है।

जब जवाहर लाल जी चीन से लड़े थे तो क्या हम जवाहर लाल जी के साथ लड़े थे? जब चीन का हमला हुआ तो स्वयं मैं न कांग्रेसी मंच पर खड़े ही कर एक कांग्रेसी नेता के साथ बंगलोर में भाषण दिया। हम ने कहा कि यह सवाल जनमंच और कांग्रेस का नहीं है, यह राष्ट्रीय सवाल है। 1965 में हम ने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया, क्या वह शास्त्री जी का विरोध करने के लिये किया था? हम ने शास्त्री जी से कहा कि देश तैयार है, पाकिस्तान को मुहताज जवाब दीजिये। जब मुहताज जवाब दिया गया, तो हम ने उस का समर्थन किया। इस ने उस समय दिल्ली के रास्त्रों पर खड़े हो कर ट्रैफिक ब्यूटी की बंगला देश का मुंड झुक होने से पहले हम ने यह ऐलान किया था कि 12 दिसम्बर से हम रक्तदान का कार्यक्रम अमरा में लावेंगे और हम उस को जर्मन में जाये

श्री शशि भूषण : इस बिल में भारतीय जनसंघ का नाम नहीं है।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : चेंबरमैन साहब, मेम्बर साहब एक पोलिटिकल पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। अगर वह मानते हैं कि वह देश में फिर्कापरस्तों का जहर फैलाने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तब तो ठीक है, वरना ये सब बातें रेलिवेंट ही नहीं हैं। ये सब बातें इरेलिवेंट कह रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह रेलिवेंट इस लिए है कि यह बिल घृणा पैदा करने के खिलाफ है। किन्तु झूठ बोल कर यदि आप जनसंघ के खिलाफ घृणा पैदा करेंगे तो क्या हम को उस का जवाब देने का अधिकार नहीं है ? (व्यवधान) ... मैं बिल्कुल स्पेर्मिफिकली माग करना हूँ कि किसी को साम्प्रदायिक कहने से पहले मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि साम्प्रदायिकता को तय करने के लिए एक निष्पक्ष आयोग बिठाया जायेगा। मंत्री महोदय बताये कि जहाँ जहाँ भी दंगे हुए, भिखंडी, जलगाव, राची, जबलपुर और राची आदि जहाँ कहीं भी दंगे हुए, उन सब में कौन कौन ये और उन को सजा हुई या नहीं। वह हम को गोल-मोल न रखें। जो गुनाहगार हो, उस को सजा दीजिए—इरैस्पेक्टिव आफ कार्ट, क्रीड, कलर आर सैक्स। ऐसा न कर के केवल आरोप लगाना घृणा पैदा करना है।

भिखंडी का दंगा हुआ और हम ने माग की कि उस को जांच के लिए कमीशन बिठाया जाये। क्यों ? क्योंकि प्रधान मंत्री ने ले कर गृह मंत्री तक ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इस में जनसंघ का हाथ है। हम ने कहा कि कमीशन बिठाइये, तब पता चलेगा कि किस का हाथ है। कमीशन की फाइंडिंग नहीं आई और उस से पहले ही किसी का नाम ले कर आरोप लगाना क्या घृणा पैदा करना नहीं है ?

बिल की जो भावना है, वह तो ठीक है, किन्तु उसके अनुसार आपका व्यवहार नहीं होता है। हाथ में अधिकार है, उसको लेकर चाहे कुछ भी करें। जिन लोगों ने भगवान यशु ख्रीष्ट को सूली पर चढ़ाया, सत्य उनके साथ नहीं था। सत्य यशु के साथ था। यशु चले गये, लेकिन उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए हम सत्य की खोज, उसका मन्थन जरूर करें। जो भारत की प्रतिभा को दुनिया में कलंकित करे, जिससे भारत की प्रकृति को लाछन लगे, ऐसी कोई भी बात भारतीय जनसंघ कभी भी मंजूर नहीं करेगा। भारत की प्रकृति और प्रतिभा के हिसाब से भारत की प्रतिभा दुनिया में जिससे उज्ज्वल दिखाई दे, भारतीय जनसंघ पूरी शक्ति के साथ उसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 153, एज्यूटेबली एमेडिड, पहले ही मौजूद है। या तो माननीय सदस्य इसको वापिस लें, नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूँ।

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : Sir, I consider that this Bill deals with a subject which is extremely serious and grave. It is most unfortunate that we should have indulged in any recrimination and mutual abuses, because if we do that, we will not be able to do justice to the debate. Shri Joshi expressed some very lofty and noble sentiments while concluding his speech. He also quoted the scripture, and said, Christ was crucified for no fault of his, etc. I only beg of him and his followers to show a modicum of tolerance, and listen carefully to what we have to say on this Bill and bring about objectivity. We want less heat and more light.

Shri Joshi's first objection to the Bill appears to be that the provisions of the Bill do not reach the objects which the mover seems to have in moving this Bill. The objection is that whereas the statement of objects and

[Shri N. K. P. Salve]

reasons says that "proposed amendments purport to bring within the ambit of this section various organisations and associations which indulge in these activities", the actual provisions would apply only to individuals and not to the organisations. I am not a criminal lawyer and while expressing opinion I hesitate to rush in where angels fear to tread on a point like this. But my respectful submission is that criminal liability is a liability related to individual culpability. You cannot sentence a company or a firm or a sangh to jail. Such things do not happen. But my question to Shri Joshi is this : Never mind whether or not the provisions of the Bill reach the object ; but what about the provisions themselves ? He has said that he is one with the spirit of the Bill. I take it that by approving the spirit of the Bill he does not go into the technical question whether or not the provisions reach the object, but he is agreeable to the provisions of the Bill. If so, I would like him to go through the provisions and state what precisely his objection is to the various amendments proposed to this section which are intended to go the root to arrest, check and penalise certain activities of certain institutions and organisations who may organise movements, drills and other exercises, leading to communal trouble. Individuals may be punished ; group of individuals may be punished. It does not matter whether technically we reach the object or not as mentioned in the statement. If he otherwise accepts that these provisions are proper and they go to check and arrest this type of activities which do foment communal feeling, which do foster communalism in the country, he should have no objection, because he has not stated anything against the provisions as such. I only hope he and his party will in a calm and quiet atmosphere think over the matter and decide what to do" if it is sincere in curbing communal forces.

I have no doubt in my mind that the mover of this Bill is entitled to the highest commendations and encomiums because the Bill does attempt to fill up, according to me, a deficiency in the criminal law of the country, which has existed for quite some time in the post-independence period. We have experienced this deficiency and we helplessly witnessed extensive activities of various organisations and institutions, which were directed towards inculcating, towards indoctrinating communal feelings, towards training people to become religious fanatics and taking them to the path of religious intolerance and bigotry. These institutions carried on their activities merrily and with absolute impunity, as it were, because of the deficiency in the criminal law. The law of sedition covered by section 153A was not adequate to eradicate the evils and it needed to be expanded.

If Shri Joshi feels that the section is not sufficiently expanded, but genuinely wants all these Communal activities to be properly checked, if he wants this type of teaching fostering Communalism in school etc., this type of teaching elsewhere, in the playground of wherever it may be, to be checked, if he does not want our unsuspecting pure young juveniles to be made into fanatics, into dangerous citizens who have no religious tolerance, then let him suggest how this law can be made more stringent. No purpose would be served by shouting at us, because the days of shouting have gone. If they get into the battle of shouts, they will be outnumbered because we are more than 350. But I do not want to rub this point. If Shri Joshi is sincere in this matter, let him tell us in which way we can make the law more stringent and effective so that we can implement it effectively and put a curb on what we want to curb.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : I have referred to the bank fraud case.

SHRI N. K. P. SALVE : I do not want to talk irrelevance. I would request him to be more objective and throw more light on this. I do not want him to create more heat. If you say one thing irrelevant, another person may say ten things and the whole debate will degenerate into sheer irrelevance. I am concerned with the specific provision sought to be amended in the section. If it is accepted that there are movements, exercises and classes teaching youngsters to become intolerant to other religious and thus bigotry is encouraged, then let him help us in making a proper law so that we will be able to check such movements, such exercises, such drills such lesson and I am sure then we will be able to fill a great deficiency in our criminal law.

The other day in the All India Congress Committee Minority Cell, of which I happen to be a member, we were evaluating and assessing the approach of the minorities in the last general elections to the various Assemblies. A particular member from Kashmir narrated to us his harrowing experience in Kashmir. He brought in the name of a particular institution which I do not want to mention. He said that he does not know from where they get funds, large amount of funds. They have several hundreds of thousands students coming to them, training people into religious fanatics, teaching them the most irreligious things, backed to other religions in the name of religion. Today, with the law as it stands we cannot get at their throat, though such people deserve to be caught and whipped publicly for ruining the juveniles of this country in this manner. They are trading in children; these children are the stock in trade of these dealers in religion. When they are ruining these children, are we to remain helpless spectators? Are we to allow these children to be the victims of their unprincipled guiles, their own misguided notions of religion which they are preaching? If the law stands as it is, we cannot get at them. Unless we amend the law, we cannot get at them.

How are we to curb these activities properly? How are we going to build secular Indian with such activities going on absolutely unchecked? The activities I referred to are going on mainly among the Mohammedans of Kashmir. When these activities are going on, should we not get at the people who are organising these activities, who are organising this type of exercises, drills and movements, schools which cut at the very root of secularism in the country? In fact, these activities during all these years stultified and impeded very substantially the growth of secular forces. We have not been able to arrest and check it. One of the reasons for that is that our criminal law has been faulty. It has not been sufficiently deterrent, draconian and stringent to penalise persons fostering communalism. If that is the grievance that Shri Joshi has, we are one with him. At least, once in this Parliament let him come out with a suggestion..... (Interruption).

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Already there is a provision. I specifically

wanted the Attorney-General to quote an instance where he wanted to bring a culprit to book but could not do it because there was a lacuna. He is misquoting unnecessarily.

SHRI N. K. P. SALVE : He should not lose his temper. I am not losing mine. In courts, anyone who has a weak case loses his temper and one who has a good case maintains equanimity.

PROF. MADHU DANDAVATE : Light is the culmination of heat.

SHRI N. K. P. SALVE : That is a physicist speaking and not a politician only.

My submission is that there are criminal Communal forces whom we are not able to punish under existing law.

Do we not know of other organisation which is indulging throughout the country in these types of activities? Do I not know of such institution in my constituency? Do I not know of such institution in my own home town of Nagpur? We had many training bases of such institutions where people were trained each day. There is a ground in front of my house where young boys gather each day ostensibly for character building. May be some amount of character building is going on. But what does it matter if we train 500 bachelors or *brahmacharies* indoctrinated for practising strict *brahmacharya*, who may practise rigid continence. But if these people went round the country collecting youths and juveniles and teaching them religious intolerance and made them fanatics and in worthy citizens, that would destroy not only secularism but the very foundation of parliamentary democracy. It is worse... (Interruption). It is said that this institution is a cultural institution. But what sort of Indian culture is it that it is not open to Mohammedans, Christians? Is character building not necessary for a Christian's or a Mohammedan's son? Character building is necessary, according to Indian culture, for anyone who is a true Indian. An organisation, which is engaged only in

[Shri N. K. P. Salve]

cultural activities, will confine itself purely to cultural activities irrespective of any consideration of caste creed or religion. Politics in the name of culture debases both.

It is said that Jan Sangh is happy at the recognition of Bangla Desh, at the victory and liberation of Bangla Desh, and at India's contribution to the liberation of Bangla Desh. Certainly, you are happy and we are happy except that your reasons are different and our reasons are different. For us it was a different fight; it was a fight against the two-nation theory and for secular ideals which we hold dear. For you, we apprehend, it was a different fight. You wanted an Islamic nation to be destroyed. That has happened and you are happy. Bangla Desh is liberated and, as a result of that, Pakistan is ruined. They have to thank themselves for such ruination. We have nothing to say in the matter. We are only sorry for the people of Pakistan.

As rightly said by Shri Chandrajit Yadav today, we have hardly any animus against Pakistan as such. What wrong have the people of Pakistan done to us? What did they have in their hands? They have been victims of a very pernicious system. Reactionary forces have ruled them earlier and afterwards military dictatorship came. We are not happy that we had to teach a lesson to Pakistan, but it was of their own asking.

The moment the liberation of Bangla Desh was achieved, we did not want this war to be continue even a second more. You did not agree with that. All these things take us to believe that your reasons for our victory in Bangla Desh are entirely at variance—in fact, they are contradictory to the reasons, which we cherish, for the liberation of Bangla Desh.

In the last elections I was touring one of the constituencies in Maharashtra, where a Mohammedan candidate had been set up by the Jana Sangh, and I was canvassing support for the Congress candidate. A Chit was sent to me saying that I was trying to portray a picture that the Congress was a party which held the secular ideals very dear to itself and that the Jana Sangh was a communal organisation. I said "I

have not said so, but I am only trying to tell you what exactly the Jana Sangh's approach in communal matters; it is not for me to say whether it is a communal organisation or not."

Shri Joshi asked for a commission. I do not think a commission is necessary. The voters are the biggest commission. The people have given their verdict. We do not need any other verdict hereafter.

The people have given their verdict. If you think that your ideal of communalism has not been one of the reasons in your terrible defeat, you may continue to be shameless, as much as you want, and you continue to face defeat. (*Interruption*) Look at your own face: don't fall on our defeat in Goa. How does that help you? If you want to do introspection, be at least honest to yourself. Don't deceive yourself.

Sir, I did not want to bring in political angle in this matter. But I was narrating that participar instance. A question was asked to me that, "If you are a party which stands for an ideal of secularism, why are you not allowing Bihari Muslims to come back here? If you are not allowing Bihari Muslims to come back here, it only means you are interested in Muslims for their vote, not otherwise. They are pawns in the hands of your party."

I gave the reply that we are not allowing Bihari Muslims to come back because there are many questions involved. But I asked one counter question, "Will you ponder over as to what were the forces as a result of which these muslims left Bihar and went to Bangladesh? Did we drive them away to Bangladesh at the time of the partition of the country? Who went out murdering Muslims on a large scale? What was the thinking and philosophy as a result of which a saint was killed in the Birla House in New Delhi? Are we not ashamed of it for eternity? Are you not responsible for the pernicious philosophy which killed a saint, the biggest stigma on the head of this country?"

My submission is this. In a serious matter like this, we must think in a more objective Terms and be able to reach certain conclusion to fill the deficiencies which

have existed in our criminal law. I only wish to make it clear that we have not the slightest intention of achieving any political ends by this enactment. We do not want to amass more power or to acquire these powers, so that we might politically become more powerful. The opposition should know it better that we fight political battles via the ballot box. We do not fight political battles in such an unscrupulous and up-principled manner. By tradition, our party only knows, so far as political opposition is concerned, to fight it out at the polls. They need not entertain any apprehension at all that there is any political overtone in this type of enactment. If what Mr. Jagannathrao Joshi said was correct that these powers already exist in Section 153A, why is he worried these very powers are being reacquired so that political opposition be crushed? There is total inconsistency in what he has talked about amendment being purposed to crush opposition.

The liberation of Bangladesh has exploded the myth of two-nation theory. It has proved that the time has come when religion cannot be exploited any longer to mislead the people away from their real problem, of life and living. The real problem of life and living has to be solved. That is the basic problem. However much you try to exploit religion, it is never sustaining. How much economic progress has been impeded by Communal vices? How many difficulties do we have? So many factories had to be closed down during riots and tensions. How much public disorder was there as a result of communal violence which erupted from time to time. The history of communal violence is an eternal shame to this country, the country of Buddha and Gandhi. This violence has to be brought to an end. This violence will never be ended until the very training ground, the very activities, which culminate in such violence is put an end to at the root itself.

SHRI DINESH JOARDER (Malda) :

Mr. Chairman, Sir, we appreciate the anxiety of the Mover of the Bill that there exist certain forums in the country based on communal and racial considerations whose activities have been causing apprehension in certain sections of the society. I also agree that these communal and racial activities on the part of any individual or

organized body should not be allowed to exist.

We also believe that communal activities not only disturb and threaten public harmony and tranquility but also stand in the way of social and cultural understanding, national progress and development. These communal activities also pollute the healthy growth of political institutions of the country and also influence, to a great extent, free play of Parliamentary democracy, elections and other political activities of the country.

We have, many times before, demanded stern actions against communal elements and organisations and taking drastic actions against such communal activities. But, Sir, it is the ruling party in India that maintains and nourishes the communal organisations and their activities in the country. Whenever the communal organisations have served the interests of the ruling class and their party, they have taken full advantage of them, and many times it is found that the ruling party indulges in communal disturbances in various parts of the country. This is evident from the coalition government in Kerala led by the Congress Party of Shrimati Indira Gandhi, the last democratic coalition government in West Bengal and similarly in many other States where Congress has joined hands with Muslim League and other communal and racial parties. It is under the patronage of the Congress that communal riots, under the banner of Shiv Sena, took place. Whenever and wherever the Congress faced difficulties due to their maladministration and anti-people policies and due to growing struggle and movements of the labourers, workers and peasants, the Congress has manipulated with the help of the vested interests class communal riots to suppress the life-and-death struggle of the millions of the toiling masses. So, even today, communal riots spark out here and there in many parts of the country.

At the time of U. F. Government, in 1969, in West Bengal, we had the sad experience of Congress trying to organize communal riots in Telenipara, Jaguddal, Bagmari and Entally in Calcutta to discredit the U. F. Government. Their attempts were, however, frustrated. Again, in the

[Shri Dinesh Joarder]

Tellicherry communal riot that took place in Kerala, it was seen that riot was allowed to spread due to the callous attitude on the part of Government and also the ruling party and the Congress. It was known, it was apprehended by the people and a section of the people, that something would happen, that the communal riot would occur. This information was given to the Government, but at that time, when the Tellicherry communal riot took place, none of the Ministers took it very seriously or took any action to stop or prevent this communal riot in Tellicherry.

In this context I congratulate the Mover of this Bill, Shrimati Subhadra Joshi, for having come forward with this Bill to do something against such communal activities. But, in any case, in this Bill, I apprehend that the purpose of curbing the communal activities will not be fully served. In this amendment the original clause (a) of Section 153A of the Indian Penal Code has been kept intact. The original clause (b) has renumbered as clause (d) in this Bill. Two new clauses viz. (b) and (c) have been added in this Section with a view to bring under the purview of the penal law certain organised bodies whose sole object is to create an order in the country which has for its base purely communal and racial considerations as has been stated in the Statement of Objects and Reasons. But, in my opinion, merely drawing some criminal proceedings in the court against the communal organizations, which proceedings may take years to be disposed off, will not serve the main purpose of the Bill. As we have seen, there are already certain laws enacted and penal provisions are there in many of the penal Acts, but, unless it is seriously applied or the Government seriously want to apply those laws the crimes cannot be stopped.

In other spheres of social and political fields you will allow the communal organisations to function with equal rights and privileges of other secular organisations but you want simply to pick and choose some individual or a group and draw up penal proceedings against them in the courts of law. But this will not alone serve the purpose. Particularly, clauses (b) and (c) of the Bill are very vague and ambiguous. My suggestion is that amending the Penal Code in this fashion will not save the situa-

tion. It is required that total banning or stopping of communal activities should be made and, if necessary, the Constitution of India, the Election Laws and other relevant laws also should be amended so that no communal organization or communal body should take part in the body politic of India. This should also be considered apart from Bill. Whatever small the scope of this Bill may be, the ruling Party, taking advantage of the wider implication of the language of clause (b) and (c) of the Bill, instead of using these penal provisions against the danger of communalism, will use it to suppress the mass movements and other political activities of other left parties in the name of or in the garb of curbing the communal activities and also it may suppress its political opponents which will stand as a challenge to the ruling Party. We have seen the role of the ruling Party in applying the Maintenance of Internal Security Act and the Prevention of Violent Activities Act against its political opponents in spite of loud promises on the floor of Parliament.

I lastly once again congratulate the mover of this Bill that whatever small scope it may have, I support the Bill and in a secular State like India it is necessary that all communal activities should be banned and stopped once for all and the laws of the land be amended accordingly, fully and comprehensively.

श्री दरशारा सिंह (होशियारपुर) :
चेयरमैन साहब, काफी देर से बहस हो रही है। श्रीमती सुभद्रा जोशी जी ने एक बिल हमारे सामने पेश किया है। जिसके मकसद और अंगराज यह है कि हम उन पार्टीज को जो फिर्कदारी, कास्टीयम अज् किसम की तंग नज़री पेश करती हैं उन पर पाबन्दी लगाई जावे। यह एक ऐसा बिल है जिसके बारे में तमाम दोस्तों की राय यह है कि अगर जनसंघ वाले भी बोले तो उन्होंने यह कहा कि बात तो अच्छी है लेकिन इस कानून का इस तरह से संशोधन न कर दिया जाये जो किसी खास पार्टी के खिलाफ जाता जाता हो। सी०पी० एम० वाले बोले—बोले तो खिलाफ लेकिन

माना कि यह निहायत जरूरी बिल है, आना चाहिए था। इसलिए सुभद्रा जी हमारे मुबारकबाद की मुख्यतः हैं कि वे इस बिल को यहाँ पर लाईं। फिकेंदारी हमारे लिए खाना है जिसके कारण इस देश में कई वाकयात हुए जिससे हमारे कदम पीछे रहे, आगे नहीं बढ़ पाये। हमारे बहुत से लीडर्स कहते चले आए कि फिकेंदारी खत्म होनी चाहिए लेकिन इसको कौन कायम करता है। हमारे जोशी जी ने बहुत जोर से कहा कि साम्प्रदायिकता क्या है उसकी कोई डेफिनीशन होनी चाहिए। लेकिन इसकी डेफिनीशन सरकार क्या करे, डेफिनीशन तो लोगो ने ही कर दी है। उन्होंने कहा है साम्प्रदायिक पार्टी को हम बोट नहीं देंगे। उन्होंने बोट नहीं दिए है। उन्होंने किस किस को बोट नहीं दिए। आप अपने दिल में जाकर इसकी नये सिरे में गनारलिसिस करें और देखें कि किस-किस पार्टी को बोट नहीं मिले। जो एक्स्ट्रीमिस्ट पार्टी थी ... (व्यवधान) ...

श्री हुकम चन्द कछवाय शराब पिलाकर बोट खरीदें है। ... (व्यवधान) ...

श्री शशि भूषण शर्म नहीं आती झूठ बोलने में। शराब पी है। गोन्वाल्कर से लेकर सारे तुम्हारे नेता और तुम भी शराब पीते हो ... (व्यवधान) ... तुम हमेशा झूठे, बेईमान, शराबी, तुम्हारी शबल देवनी नहीं चाहिए ... (व्यवधान) ... मैं आज्ञेकान करता हूँ, सभापति महोदय, इन्होंने कहा शराबी, इन्होंने कहा शराब पिलाकर बोट लिए। ... (व्यवधान) ... आज इसका फैसला होना चाहिए ... (व्यवधान) ...

सभापति महोदय : इसका फैसला यहाँ नहीं हो सकता, आप जानते हैं शशि भूषण जी। ... (व्यवधान) ...

श्री शशि भूषण : ये झूठे, इनके नेता झूठे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : तुम झूठे हो। ... (व्यवधान) ...

सभापति महोदय : एक व्यवस्था के तहत हमको यहाँ पर चलना है। इसका फैसला शशि भूषण जी, यहाँ पर नहीं हो सकता।

श्री शशि भूषण : मैं इसका फैसला चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे इस बात के लिए।

सभापति महोदय : यह मौका नहीं है। आप क्लस की तहत उठाइये इस बात को। ... (व्यवधान) ... देखिए इस डिबेट में यह बात नहीं उठाई जा सकती, आप जानते हैं इस बात को, यह जो बात इन्होंने कही है। ... (व्यवधान) ...

श्री शशि भूषण : ये किसी आदमी को कहे कि शराब पीकर आता है तो या तो साबित करें नहीं तो मैं कहता हूँ गोन्वाल्कर से लेकर सारे लोग शराबी है।

सभापति महोदय आप बैठ जाइये।

श्री कलचन्द वर्मा (उज्जैन) : जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसके नाम पर यहाँ चर्चा कैसे की जायेगी ? ... (व्यवधान) ...

सभापति महोदय : मेरी अर्ज है बोशी जी आपसे और आप के दल वालों से कि एक गम्भीर चर्चा यहाँ चल रही है, अगर कोई बात आपको पसन्द नहीं आती तो न आये, आप उसका जवाब दे सकते हैं जबकि आपको मौका आयेगा। ... (व्यवधान) ... श्री दरबार सिंह जी।

श्री दरबार सिंह : मैं ने शुरू में अर्ज की

[श्री दरबारा सिंह]

थी कि जो लोग बोले उनकी हमने डिस्टर्ब नहीं किया और हम नहीं चाहते कि इस परम्परा को इस हाउस में कायम किया जाए। मैं आप की मार्फत उनसे भी अर्ज करता हूँ कि आराम से सुनें और अपनी बात बाद में कह लें, उनके पास काफी अच्छे बोलने वाले आदमी हैं।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस फिर्के-दारी के ज़हर को फैलाने वाले कौन से अनासिर हैं जो अब तक मौजूद हैं? वह अनासिर जो धर्म के नाम पर ज़हर फैलाते हैं? धर्म बड़ी अच्छी चीज़ है। धर्म सच्चाई कहता है, अच्छे काम करने वालों को कहता है, परस्पर के मानने वालों को कहता है लेकिन धर्म के नाम पर कौन कौन से बाक़यात नहीं हुए? मे अर्ज करता हूँ फिर्के के नाम पर, जवान के नाम पर जो लड़ाई होती है वह कहा-कहा पर, किस-किस जगह पर पिछले साल नहीं हुई? हमने जवान के नाम पर लड़ाई होने देखा है। जवान तो एक ताकत होती है, जवान जवान से लड़ने के लिए नहीं होती है। जवान बनाने के लिए होती है, जवान काटने के लिए नहीं है। एक जवान दूसरी जवान को अमीर बनाने है, कमज़ोर नहीं बनाती। जो ज्यादा जवाने जानने वाले हैं वे ज्यादा अच्छे हैं। एक ही जवान पर रहना कि यही होना चाहिए, इसके बग़ैर हम कुछ नहीं सीखेंगे मैं समझता हूँ इससे हम दुनिया में अपने को बहुत कम अवलम्बित करने का सबूत देते हैं। मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाता, जवान और दूसरे लिहाज़ से जितनी भी गलतियाँ

लोगों ने की हैं उसपर गौर करना चाहिए।

जोशी जी, डेफनीशन के बारे में पूछते हैं। मैं कहता हूँ आपको डेफनीशन कहाँ पर नहीं मिली? पंजाब में पूरी डेफनीशन मिल गई, एक भी आदमी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप वहाँ तशरीफ नहीं ले गए। अगर ले गए तो उन लोगों पर नहीं पटुच पाए जिनके नाम पर आप आर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वे कहते हैं इन्होंने हमें डिवोया है, हमारा काम खराब किया है और इसलिए खराब किया है कि हिन्दु जाति के नाम पर आर्गेनाइजेशन बनाई जायें जो यह बात करें और किसी को भी हम देखना ही चाहें। अब अकालियों की हालत आप देख लीजिए, पहले से सरकार कायम थी और एकदम नीचे चला गई। क्यों नीचे चली गई, इसलिए कि उनकी सरकार गलत सरकार थी और कल तक उनकी सरकार थी, आज नाचे चली गई उसका नतीजा यह हुआ कि अन्त में धर्म की प्राइम लेने वाली सरकार चली गई। धर्म एक पवित्र चीज़ है, उसका गलत इस्तेमाल करके वह अपने शासकों इम तरफ ले गये, ताकत के लिए ले गये, आपने ठीक कहा था।

MR CHAIRMAN : The hon Member may continue his speech on the next occasion.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 3, 1972/Chaitra 14, 1894 (Saka)